



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 599 राँची, बुधवार, 21 दिसम्बर, 2022 (ई०)

पर्यटन] कला-संस्कृति] खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2022

खेल संघों को अनुदान हेतु मार्गदर्शिका

संख्या&क्री०नि०&32@खे०सं०&02@2021 32-विभागीय संकल्प संख्या& 04 दिनांक 10-06-2022 द्वारा स्वीकृत झारखण्ड खेल नीति&2022 की कंडिका& 7-10-1 एवं 7-6(ii) के आलोक में राज्य के खेल संघों को प्रोत्साहन राशि@अनुदान की स्वीकृति हेतु निम्नवत् मार्गदर्शन सिद्धांत@शर्तों का निर्धारण किया जाता है:-

- 1- निम्नांकित अहर्ता@शर्तों को पूर्ण करने वाले राज्य के खेल संघों को अनुदान प्रदान करने पर विचार किया जायेगा:-
 - (i) ऐसे खेल संघ को जो राज्य ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त हो एवं राज्य सरकार के निबंधन विभाग से निबंधित हो को अनुदान देने पर विचार किया जा सकता है ।
 - (ii) किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह द्वारा संचालित कोई शीर्ष खेल@क्लब@संस्था किसी भी हालत में अनुदान का पात्र नहीं समझा जाएगा ।
 - (iii) केन्द्र सरकार द्वारा किसी विशेष परियोजना हेतु अनुदान प्राप्त खेल संघों को राज्य सरकार द्वारा उसी परियोजना@आयोजन हेतु अनुदान नहीं दिया जाएगा ।
 - (iv) झारखण्ड ओलम्पिक संघ एवं संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल संघों जिनकी राज्य में कमसेकम 18 (अठारह) जिलों में जिला स्तरीय इकाई@संघ कार्यरत हो को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न स्तर के खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित करने के लिए खेल अनुदान देने पर विचार किया जाएगा ।
 - (v) राज्य खेल संघ को अनुदान प्राप्ति के लिए संबंधित राष्ट्रीय खेल फेडरेशन एवं झारखण्ड ओलम्पिक संघ से संबद्ध होना अनिवार्य होगा। संबद्धता का अधिकृत पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।
 - (vi) आवेदन पत्र के साथ संस्था का पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा ।
 - (vii) खेल संघ का पैन कार्ड एवं राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता होना चाहिए। उक्त की छायाप्रति अनुदान आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।
 - (viii) खेल संघों का अपना स्वतंत्र कार्यरत वेबसाइट होना चाहिए ।
 - (ix) पैरालिम्पिक से संबंधित राज्य खेल संघ@खेल संस्थाएँ एवं ऐसे खेल के राज्य खेल संघ@खेल संस्थाएँ जो ओलम्पिक या एशियाड या कॉमनवेल्थ खेलों में सम्मिलित हैं उन्हें अनुदान प्रदान करने की अन्य शर्तों की पूर्ति होने पर अनुदान दी जा सकेगी। शेष खेलों के राज्य संघ के मामले में कम से कम 15 (पन्द्रह) जिला इकाईयाँ संबद्ध होना आवश्यक होगी ।
 - (x) खेल संघो@संस्थाओं को अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट&I)@ऑनलाईन माध्यम में वांछित जानकारी एवं दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आवश्यक होगा। निदेशक खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय झारखण्ड राँची को निर्धारित प्रपत्र में उल्लिखित वांछित जानकारी एवं दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य जानकारी एवं दस्तावेज संघ@संस्था से प्राप्त करने का अधिकार होगा ।
 - (xi) प्रत्येक खेल संघ विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुपालन करने के शर्त का पालन करेगी ।

- (xii) विभाग द्वारा एक खेल में एक ही राज्य इकाई को अनुदान प्रदान की जाएगी। यदि एक ही खेल के दो या दो से अधिक राज्य इकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु दावेदारी प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय फेडरेशन@राज्य ओलम्पिक संघ से किसी एक संघ को संबद्धता प्रदान करने हेतु स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत ही अनुदान की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा ।
2. विभिन्न खेलों के वैसे खेल संघों जिनके राष्ट्रीय महासंघ की मान्यता भारतीय ओलम्पिक संघ से हो एवं राज्य इकाई की मान्यता झारखण्ड ओलम्पिक संघ एवं राज्य सरकार से प्राप्त हो तथा उपर्युक्त कंडिका &1 में वर्णित अहर्त्ताओं को पूर्ण करते हों को विभिन्न स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु खेल नीति 2022 की कंडिका&7-10-1 के अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा ।
 3. उक्त कंडिका&1 में निर्धारित शर्तों@अहर्त्ताओं को पूर्ण करने वाले राज्य खेल संघों के विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भागीदारी के पूर्व राज्य के चयनित खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करने हेतु झारखण्ड खेल नीति&2022 की कंडिका& 7-6(ii) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत अनुदान राशि प्रदान की जायेगी ।
 4. खेल संघों से अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों पर झारखण्ड खेल नीति 2022 के कंडिका 7-4-2 के अंतर्गत गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।
 5. उक्त समिति द्वारा लिये गए निर्णय के आधार पर निदेशक] खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय द्वारा अनुदान विमुक्त किया जाएगा ।
 6. आवेदक खेल संघ को प्राप्त अनुदान राशि के खर्च का ब्योरा अंकेक्षण प्रतिवेदन के रूप में सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सरकार ऐसी संस्थाओं के लेखा अभिलेखों की जाँच@अंकेक्षण विभागीय पदाधिकारियों अथवा सरकार द्वारा इस हेतु स्थापित एजेंसियों से करा सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
